

अन्य प्रपत्र

परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रायआगर चौडमुन्या किमी० 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग किमी० 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायआगर चौडमुन्या किमी० 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.6610 हे० वनभूमि ग्राम्य विकास विभाग, को (प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी०, दिनांक 05-05-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेशन लाईन, ओ०एफ०सी०, केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह, (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

राजस्व उपनिरीक्षक मुख्या
तहसील. पिथौरागढ़
जिला. पिथौरागढ़
दिनांक. 12/05/2014

ह०/-
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़